

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशों (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	सिंगरौली जिले में करैला-सिंगरौली रेल्वे लाईन के दोहरीकरण हेतु 21.404 हेक्टेयर वन भूमि सहायक अभियंता (निर्माण) पूर्व मध्य रेल्वे, सिंगरौली को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

तिथि:-27.12.2018

स्थान:- भोपाल।


 27/12/18
 (SUNIL AGRAWAL)
 I.F.S.
 Addl. Principal Chief Conservator of forest
 (Land Management)
 Madhya Pradesh, Bhopal